न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री जगदीश आर्य

अपील संख्याः 17 / 2023 तारीख रजू 16.06.2023

1. भागचन्द पुत्र दुर्गालाल बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2. बजरंगलाल पुत्र दुर्गालाल बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
3. बाबूलाल पुत्र दुर्गालाल बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी बजरिया सवाई माधोपुर।
4. नन्दकिशोर पुत्र दुर्गालाल बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्टगण

बनाम

1. शांति पुत्री रामपाल पत्नी रामस्वरूप बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी डाबर तहसील बामनवास।
2. अमरी पुत्री रामपाल पत्नी लड्डूलाल बैरवा निवासी मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी ग्राम सीनोली तह0 व जिला स0माधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार मलारना डूंगर।

.....रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक 12.08.2024.

अपीलान्ट ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 23.01.2006 एवं नामान्तकरण संख्या 351 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा नामान्तकरण संख्या 351 तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 23.01.2006 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2006 मूल नामान्तकरण संख्या 351 तलब किया गया। मूल नामान्तकरण संख्या 351 मय जिल्द प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 351 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर भरा गया था, जबकि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.22 के आधार पर न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.05 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी स0मा0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.05 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पैत्रक भूमि से सम्बन्धित विवाद होने के कारण प्रकरण को सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.22 की पालना में हाल जमाबन्दी पर नोट दर्ज नहीं किये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने बिना भौतिक कब्जे के विवादित भूमि को रहन बय करने के लिये प्रयत्नशील होने के कारण विवादित भूमि का विक्रय पत्र का भी पंजीयन करवा दिया। अपीलान्टगण ने सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त करके प्रक्रियाधीन नामान्तकरण संख्या 1121 दिनांक 13.02.23 स्वीकृत होने से रह गया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि का अंतिम निर्णय हुए बिना ही नामान्तकरण स्वीकृत करने में अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टगण को किसी तरह का नोटिस भी जारी नहीं किया, समस्त कार्यवाही एक पक्षीय रूप से सम्पादित की गई हैं जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश इल्लीगल, इम्प्रोपर व इनकरेक्ट होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 351 दिनांक 23.01.06 को अपास्त किया जाकर राजस्व ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर के हाल खाता संख्या 325, 452, 689, 751, 752, 807, 808 पर नामान्तकरण निरस्त होने का नोट दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि नामान्तकरण संख्या 351 विधिवत सही प्रकार से खोला गया है। मृतक कामडा के पुत्र भोज्या एवं भोज्या के दो पुत्र मांग्या व रामपाल थे जिसने चालाकी से सम्पूर्ण भूमि मांग्या के नाम लगवा ली जबकि 1/2 भूमि मांग्या की तथा 1/2 भूमि रामपाल की थी। रामपाल के कोई पुत्र नहीं था केवल तीन पुत्रियां पूनी, अमरी व शांति है, जिनमें से पूनी की मृत्यु हो चुकी है इसलिये विरासत के आधार पर अमरी व शान्ति के नाम नामान्तकरण सही खोला गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बहस में यह भी तर्क दिया कि यदि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायालय उपं जिला कलेक्टर बौंली के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.05 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी स0मा0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.05 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पैत्रक भूमि से सम्बन्धित विवाद होने के कारण प्रकरण को सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की गई थी तो अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील पेश नहीं करके संबंधित न्यायालय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.22 के अनुसार कार्यवाही करवानी चाहिए थी जोकि अपीलान्टगण द्वारा नहीं करवाई गई है,

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील गलत पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश दिनांक 23.01.2006 के द्वारा नामांतकरण संख्या 351 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर भरा गया था, जबकि न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.10.22 के आधार पर न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.05 एवं राजस्व अपील प्राधिकारी स0मा0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.05 को अपास्त करते हुए प्रकरण में पैत्रक भूमि से सम्बन्धित विवाद होने के कारण प्रकरण को सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया गया था, किन्तु अपीलान्टगण द्वारा उक्त नामान्तकरण को खारिज करवाने हेतु न्यायालय में अपील पेश की गई है। बकौल वकील अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने विवादित भूमि का विक्रय पत्र का भी पंजीयन करवा दिया गया है, ऐसी स्थिति में पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर